FIROZABAD POLICE

सुरक्षा आपकी
संकल्प हमारा

प्रेस नोट थाना फरिहा कुर्की दिनांक 19-11-2025 जनपद फिरोजाबाद।

- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अपराधियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
- इसी क्रम में आज दिनांक 19-11-2025 को थाना फरिहा पुलिस टीम द्वारा थाना जसराना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 254/2025, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित गैंगलीडर अभियुक्त गोल्डी उर्फ बबलू की अन्तर्गत धारा 14(1), अधिनियमः- गिरोहबंद एवं असमाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 के तहत 2,01,28,015 रूपये (02 करोड़ 01 लाख 28 हजार पन्द्रह रूपये) की अचल सम्पत्ती को कुर्क करते हुए जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है।
- गैंगलीडर अभियुक्त गोल्डी उर्फ बबलू पुत्र गजाधर सिंह निवासी कोटला रोड़ ओझा नगर नगला करन सिंह थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद हाल पता सुहागनगर थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद एक संगठित गिरोह बनाकर वकालात की आड़ में अपने साथियों (अपनी माँ मुन्नी देवी, अपने सगे भाई प्रकाश बाबू) संग मिलकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ की पूर्ति हेतु धन अर्जित करने के उद्देश्य से धोखाधडी ,षड्यंत्र , हेरा फेरी , छल कपट, लोगों के साथ मारपीट करके जमीनों के फर्जी बैनामा कराने व उनको जबरदस्ती हडपकर अवैध कब्जा करने जैसे अपराध कारित करता है।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा उक्त गैंगलीडर को चिन्हित कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी गयी थी जिसमें श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा द्वारा उक्त गैंग को इन्टर रेंज गैंग आई0आर0-22 (फिरोजाबाद) के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण बनाए रखने एवं अपराध / अपराधियों पर लगाम लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में आदतन अपराधियों पर की जा रही है लगातार कड़ी कार्यवाही............
- अपराध माफिया अभियुक्त गोल्डी उर्फ बबलू अपने साथियों के साथ मिलकर धोखाधडी ,षड्यंत्र , हेरा फेरी, छल कपट करके जमीनों के फर्जी बैनामा कराने व उनको जबरदस्ती हडपकर अवैध कब्जा करने जैसे अपराध कारित कर समाज विरोध क्रिया कलापों में संलिप्त होकर आर्थिक लाभ अर्जित करता है।
- अपराध माफिया अभियुक्त गोल्डी उर्फ बबलू पर पॉक्सों एक्ट , हैराफेरी , द0प्र0अधिनियम ,गैगंस्टर एक्ट, एससीएसटी एक्ट आदि में आधा दर्जन से अधिक अभियोग हैं पंजीकृत......
- पूर्व में गैंगलीडर अभियुक्त गोल्डी उर्फ बबलू को अपराध माफिया के रूप में घोषित किया गया था जिसे थाना उत्तर पर संख्या-स0मा0-07/2025 पंजीकरण करते हुए निगरानी प्रारम्भ की गयी थी।

फिरोजाबाद पुलिस जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को अक्षुण बनाए रखने के प्रति है कटिबद्ध....

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा आदतन अपराधी एवं संगठित गिरोह बनाकर गम्भीर अपराध कारित करने वाले अभियुक्तों / गैंग के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गोल्डी उर्फ बबलू पुत्र गजाधर सिंह निवासी कोटला रोड ओझानगर नगला करन सिंह थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद जो कि अपने साथियों संग मिलकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ की पूर्ति हेतु धन अर्जित करने के उद्देश्य से बकालत की आड़ में धोखाधडी ,षड्यंत्र , हेरा फेरी , छल कपट करके जमीनों के फर्जी बैनामा कराने व उनको जबरदस्ती हडपकर अवैध कब्जा करता है के विरूद्ध अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के नेतृत्व में थाना फरिहा पुलिस टीम मय राजस्व टीम द्वारा **अन्तर्गत धारा 14(1), अधिनियमः- गिरोहबंद एवं असमाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 के तहत आज दिनांक 19-11-2025 को 2,01,28,015 रूपये (02 करोड़ 01 लाख 28 हजार पन्द्रह रूपये) की अचल सम्पत्ती को कुर्क करते हुए जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है।**

गैंगलीडर अभियुक्त गोल्डी उर्फ बबलू तथा गैंग सदस्य इसकी माँ 1-मुन्नी देवी, 2-सगा भाई प्रकाश बाबू व 3-गैंग सदस्य अशो कुमार काफी वर्षों से लगातार अपराध कारित कर, अवैध तरीके से चल / अचल सम्पत्ती अर्जित की गयी हैं। आज दिनांक 19-11-2025 को कुर्क की गयी सम्पत्ती का विविरण निम्नवत हैः----

क्र0 सं0	सम्पत्ती का स्वामी	सम्पत्ती का प्रकार	मूल्यांकन (रूपये में)
1	मुन्नी देवी पत्नी गजाधर सिंह	ग्राम नैपई के गाटा संख्या 1662 रकवा 0.127 है0 व गाटा संख्या 1663 रकवा 2.316 है0 कुल रकवा 2.443 है0 का ¼ भाग	85,50,500/-
2	बबलू उर्फ गोल्डी पुत्र गजाधर सिंह	मौ0 सुहाग नगर में क्षेत्रफल 33.015 वर्गमीटर (मकान)	18,25,423.75/-
3	प्रकाश बाबू पुत्र गजाधर सिंह	मौजा अली नगर कैंजरा में गाटा संख्या 638 रकवा 370.05 वर्गमीटर आवासीय प्लॉट	22,94,310/-
4	प्रकाश बाबू पुत्र गजाधर सिंह	मौजा अली नगर कैंजरा में गाटा संख्या 638 रकवा 370.05 वर्गमीटर आवासीय प्लॉट	22,94,310/-
5	अशोक कुमार पुत्र रामसरन	मौजा हुमायुंपुर में गाटा संख्या 172 परवा 0.311 है0 का ¼ भाग अर्थात 0.0653604	51,63,471.60/-
		कुल कुर्क की गयी सम्पत्ती का विवरणः-----	2,01,28,015.35 रूपये

गैंगलीडर अभियुक्त गोल्डी उर्फ बबलू का आपराधिक इतिहासः-----

01-मु0अ0सं0 -1282/17- धारा 171एफ, 188 भादवि थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

02-मु0अ0सं0 588/17- धारा 323,504,506,498ए भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

03-मु0अ0सं0 64/22- धारा 171जी, 188,269,273 भादवि व 3 महामारी अधि० थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

04-मु0अ0सं0 69/22- धारा 171 एफ, 186, 188,269,506 भादवि थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

05-मु0अ0सं0 384/24- धारा 420,467,468,471,120बी भादवि थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।
06-मु0अ0सं0 250/24 धारा 420,467,468,471,120बी भादवि थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद।
07-मु0अ0सं0 310/24- धारा 191(2).191(3),190,115(2),352,351 (3), 109,309 (6) बीएनएस थाना ट्रांस यमुना जनपद आगरा।
08-मु0अ0सं0 452/24 धारा 498ए,323,504,506 भादवि व 3/4 द०प्र० अधि० थाना कोतवाली शाहजँहापुर।
09-मु0अ0सं0 122/25 धारा 319(2),318(4),338,336(3).340(2),352,351(2) 61(2),111 बीएनएस व 3 (2)5 एससीएसटी एक्ट थान जसराना जनपद फिरोजाबाद।
10-मु0अ0सं0 254/25- धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

अभियुक्ता मुन्नी देवी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 201/2015 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना दक्षिण फिरोजाबाद।
2-मु0अ0सं0 588/2017 धारा 323/504/506/498ए भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।
3-मु0अ0सं0 583/2024 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद।
4-मु0अ0सं0 384/2024 धारा 420/120बी भादवि थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।
5- मु0अ0स0 122/2025 धारा 319 (2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/352/351(2)/61(2)/111 बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।
6-मु0अ0सं0 250/2025 धारा 420/120बी भादवि थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद।

अभियुक्त अशोक कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 78/2023 धारा 13 जी एक्ट थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।
2-मु0अ0सं0 384/2024 धारा 420/120बी भादवि0 थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।
3-मु0अ0सं0 250/2025 धारा 420/120बी भादवि थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद।
4-मु0अ0सं0 122/2025 धारा 319 (2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/352/351(2)/61(2)/111 बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

अभियुक्त प्रकाश बाबू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 588/2017 धारा 323/504/506/498ए भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।
2-मु0अ0सं0 250/2025 धारा 420/120बी भादवि थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद।
3-मु0अ0सं0 583/2024 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना शिकोहाबाद फिरोजाबाद।
4-मु0अ0सं0 122/2025 धारा 319 (2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/352/351(2)/ 61 (2)/111 बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

नोटः- गैंगलीडर गोल्डी उर्फ बबलू व उसकी माता, सगे भाई व एक अन्य सदस्य की कुल 02 करोड़ 01 लाख 28 हजार पन्द्रह रूपये की सम्पत्ती को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है।